कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001
email-jdanic-jod-rj@nic.in osc&lkbZV jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / बैठक / 2021 / 5714 दिनांक :: 25 जून, 2021

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री कमर चौधरी, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 25 जून, 2021 को प्रातः 10.30 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य/अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 21 मई 2021 मे लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

गत बैठक दिनांक **21 मई 2021** का कार्यकारी समिति विवरण जारी किया जाकर सभी को प्रेषित किया जा चुका है। अतः कार्यकारी समिति की गत बैठक **21 मई 2021** का कार्यवाही विवरण पुष्टि हेतु प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 21 मइ, 2021 में लिये गये निर्णय की पुष्टि करते हुए जारी कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: जोन पश्चिम के जोनल डवलपमेन्ट प्लान ड्राफ्ट को आपत्ति सुझाव हेतु जारी करने बाबत।

गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य सिविल रिट पीटीशन संख्या 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जोधपुर शहर के मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 क्षैत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने हेतु जोन पश्चिम के जोनल प्लान बनाये जाने का कार्यादेश दिनांक 07.03.2019 को वाप्कोस लिमिटेड को जारी किया गया था। वाप्कोस लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशो के कम में चरण–5 (Preparation of Draft Zonal Plan) तक का कार्य प्रस्तुत किया हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू किये जाने प्रस्तावित हैं एवं माननीय न्यायालय द्वारा प्रदत निर्देशों के कम में कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियो के नियमन से पूर्व जोनल डवलपमेंट प्लान लागू किया जाना अति आवश्यक हैं। कन्सल्टेंट द्वारा निम्न मानचित्र प्रस्तुत किये गये हैं:–

1. Map Showing Zone Boundary on Urban Area,
2. Map Showing Proposed Landuse Plan of Master Plan of West Zone,
3. Map Showing physical features and property level details,
4. Map Showing Existing landuse and superimposition of revenue maps, revenue roads, commitments, Government land and other details,
5. Map Showing Social Infrastructure,
6. Map Showing Physical Infrastructure,
7. Map Showing Existing Development and Master pLan Laqnduse superimposition,
8. Map Showing Traffic and Transportation,

Scanned with CamScanner

9. Map Showing Proposals on the basis of variaitions,
10. Map Showing Proposals on the basis of Deviations,
11. Map Showing Draft Zonal Development Plan.

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2009 की धारा 22 के तहत उक्त जोनल डवलपमेंट प्लान तैयार किया गया हैं जो कि समिति के समक्ष अनुमोदार्थ प्रस्तुत हैं। साथ ही अधिनियम की धारा 23 के तहत जोनल डवलपमेन्ट प्लान ड्राफ्ट को आपत्ति सुझाव आमंत्रित करने हेतु अधिसूचना जारी कह जानी हैं जिसके कम में निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार तैयार किये गये जोनल डवलपमेंट प्लान का अनुमोदन करते हुए, जोनल डवलपमेन्ट प्लान ड्राफ्ट हेतु आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु अधिसूचना जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: जोधपुर नगरीय क्षेत्र 2031 जोन बाउण्ड्री मैप के संबंध में।

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	जोधपुर नगरीय क्षेत्र–2031 के मानचित्र को कुल 18 जोन व 3 ग्रोथ सेन्टर्स में विभाजित करते हुए नगरीय क्षेत्र जोन बाउण्ड्री मैप समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों एवं जोनल डवलपमेंट प्लान बैठक की समीक्षा में सम्पूर्ण जोधपुर के नगरीय क्षेत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 दिनांक 17.02.2021 को अनुमोदित हो चुका है, जिसके अनुसार नगरीय क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 4,46,700 हैक्टेयर है। वर्तमान में जोधपुर नगरीय क्षेत्र के यू–1 व यू–2 क्षेत्र में पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण के पार्ट क्षेत्र के जोनल डवलपमेंट प्लान बनाये जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है, जिनको नाम E2, W2, N1, N2,(उत्तर जोन के क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है) S2 रखा जाना प्रस्तावित है। सम्पूर्ण नगरीय क्षैत्र को विभिन्न जोन में निम्नानुसार विभक्त किया जाना प्रस्तावित है –

01. नगर निगम उत्तर एवं नगर निगम दक्षिण के क्षेत्र को उनकी सीमा अनुसार पृथक–पृथक जोन (N O S)।
02. यू–1 व यू–2 क्षैत्र में पूर्व में पार्ट जोनल डवलमेंट प्लान की जोन सीमा से शेष रहे भाग को कुल 7 नये जोन में विभाजित किया गया है। जिनको E1, W1, S1, E3,W3, N3, S3 रखा जाना प्रस्तावित है।
03. यू–1 व यू–2 के बाहरी ग्रामीण क्षैत्र को चार जोन E4, W4, N4, S4 में विभाजित किया जाना प्रस्तावित है।
04. उपरोक्त के अतिरिक्त जोधपुर नगरीय क्षैत्र में भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार 3 राजस्व ग्राम– तिंवरी, बावडी व मथानिया की जनसंख्या 10,000 से अधिक होने के कारण इन तीनों ग्रामों को ग्रोथ सेन्टर के रूप में अंकित किया गया है।

जोधपुर नगरीय क्षेत्र–2031 के मानचित्र की उपरोक्तानुसार जोन सीमाओं बाबत् सभी उपायुक्तगणों से चर्चा कर दिनांक 01.06.2021 को नगरीय क्षेत्र बाउण्ड्री मैप का अनुमोदन कार्यकारी समिति व प्राधिकरण बैठक की प्रत्याशा में किया जा चुका है।

अतः उपरोक्तानुसार जोधपुर नगरीय क्षेत्र–2031 मानचित्र को कुल 18 जोन व 3 ग्रोथ सेन्टर्स में विभाजित करते हुए नगरीय क्षेत्र जोन बाउण्ड्री मैप समिति के समक्ष वास्ते अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned with CamScanner

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए बाउण्ड्री मेप का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: नगर निगम–उत्तर क्षेत्र के जोनल डवलपमेन्ट प्लान बनाये जाने बाबत्।

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	नगर निगम–उत्तर क्षेत्र के जोनल डवलपमेन्ट प्लान का कार्य आउटसोर्सिंग माध्यम से कन्सलटेन्ट द्वारा करवाया जाना प्रस्तावित है।

माननीय उच्च न्यायालय व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में राज्य के समस्त प्रथम श्रेणी शहरों के जोनल डवलपमेन्ट प्लान शीघ्र तैयार किये जाने हैं। उक्त के क्रम में श्रीमान् मुख्य नगर नियोजक द्वारा दिनांक 09.06.2021 को कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में विचार–विमर्श किये गये विन्दुओं के क्रम में जारी पत्र दिनांक 11.06.2021 में दिये गये दिशा–निर्देश अनुसार जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 के सम्पूर्ण नगरीयकृत क्षेत्र हेतु जोनल डवलपमेन्ट प्लान टेन्डरिंग के माध्यम से ड्रोन सर्वे द्वारा करवाये जाने अपेक्षित है। इस क्रम में नगर निगम क्षेत्र में जोनल डवलपमेन्ट प्लान के संबंध में नगर निगम उत्तर व दक्षिण के अधिकारियों के साथ दिनांक 16.06.2021 को आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर की अध्यक्षता में प्रथम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें लिये गये निर्णय के क्रम में जोनल डवलपमेन्ट प्लान का कार्य आउटसोर्सिंग माध्यम से करवाया जाना है। साथ ही उक्त कार्य का समस्त भुगतान संबंधित नगर निगम उत्तर अथवा दक्षिण द्वारा किया जाना है।

नगर निगम–उत्तर क्षेत्र के जोनल डवलपमेन्ट प्लान के कार्य हेतु राशि रूपये 60,00,000/– (अक्षरे साठ लाख रूपये) की प्रशासनिक व वित्तिय स्वीकृति कार्यकारी समिति व प्राधिकरण बैठक की प्रत्याशा में जरिये पत्रांक JDA/A&F/TA TO DE/2021-22/259 दिनांक 21.06.2021 के द्वारा प्रदत्त की जा चुकी है तथा तत्पश्चात् अधिशाषी अभियन्ता द्वारा जरिये पत्रांक अअ/2021–22/535 दिनांक 21.06.2021 के द्वारा ई–निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

अतः उपरोक्तानुसार नगर निगम–उत्तर क्षेत्र के जोनल डवलपमेन्ट प्लान के कार्य की प्रशासनिक व वित्तिय स्वीकृति हेतु एजेण्डा समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार जोनल डवलपमेन्ट प्लान के कार्य की जारी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन करने करने का निर्णय लिया गया।

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव संख्या 5 :: नगर निगम–दक्षिण क्षेत्र के जोनल डवलपमेन्ट प्लान बनाये जाने बाबत्।

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	नगर निगम–दक्षिण क्षेत्र के जोनल डवलपमेन्ट प्लान का कार्य आउटसोर्सिंग माध्यम से कन्सलटेन्ट द्वारा करवाया जाना प्रस्तावित है।

माननीय उच्च न्यायालय व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में राज्य के समस्त प्रथम श्रेणी शहरों के जोनल डवलपमेन्ट प्लान शीघ्र तैयार किये जाने हैं। उक्त के क्रम में श्रीमान् मुख्य नगर नियोजक द्वारा दिनांक 09.06.2021 को कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में विचार–विमर्श किये गये विन्दुओं के क्रम में जारी पत्र दिनांक 11.06.2021 में दिये गये दिशा–निर्देश अनुसार जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 के सम्पूर्ण नगरीयकृत क्षेत्र हेतु जोनल डवलपमेन्ट प्लान टेन्डरिंग के माध्यम से ड्रोन सर्वे द्वारा करवाये जाने अपेक्षित है। इस क्रम में नगर निगम

क्षेत्र में जोनल डवलपमेन्ट प्लान के संबंध में नगर निगम उत्तर व दक्षिण के अधिकारियों के साथ दिनांक 16.06.2021 को आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर की अध्यक्षता में प्रथम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें लिये गये निर्णय के क्रम में जोनल डवलपमेन्ट प्लान का कार्य आउटसोर्सिंग माध्यम से करवाया जाना है। साथ ही उक्त कार्य का समस्त भुगतान संबंधित नगर निगम उत्तर अथवा दक्षिण द्वारा किया जाना है।

नगर निगम–दक्षिण क्षेत्र के जोनल डवलपमेन्ट प्लान के कार्य हेतु राशि रू. 70,00,000/– (अक्षरे सत्तर लाख रूपये)की प्रशासनिक व वित्तिय स्वीकृति कार्यकारी समिति व प्राधिकरण बैठक की प्रत्याशा में जरिये पत्रांक JDA/A&F/TA TO DE/2021-22/249 दिनांक 21.06.2021 के द्वारा प्रदत्त की जा चुकी है तथा तत्पश्चात् अधिशाषी अभियन्ता द्वारा जरिये पत्रांक अअ/2021–22/535 दिनांक 21.06.2021 के द्वारा ई–निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

अतः उपरोक्तानुसार नगर निगम–दक्षिण क्षेत्र के जोनल डवलपमेन्ट प्लान के कार्य की प्रशासनिक व वित्तिय स्वीकृति हेतु एजेण्डा समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार जोनल डवलपमेन्ट प्लान के कार्य की जारी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन करने करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: जोधपुर रीजन के जोनल डवलपमेन्ट प्लान हेतु शेष क्षेत्र के जोनल डवलपमेन्ट प्लान बनाये जाने हेतु UAV ड्रोन सर्वे द्वारा बेस मैप बनाये जाने के संबंध में।

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	जोधपुर रीजन के जोनल डवलपमेन्ट प्लान हेतु शेष क्षेत्र के जोनल डवलपमेन्ट प्लान बनाये जाने हेतु UAV ड्रोन सर्वे द्वारा बेस मैप बनाया जाना प्रस्तावित है।

Scanned with CamScanner

प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में पूर्व में जारी कार्यादेश के अतिरिक्त शेष क्षेत्र के जोनल डवलपमेन्ट प्लान बनाये जाने हैं। वर्तमान में जोधपुर रीजन मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 दिनांक 17.02.2021 को अनुमोदित किया जा चुका है। उक्त मास्टर प्लान में संलग्न मानचित्र अनुसार E1, W1, S1 भाग का जोनल डवलपमेन्ट प्लान बनाये जाने हेतु UAV ड्रोन सर्वे द्वारा बेस मैप बनाये जाने के कार्य की निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु 25,00,000/– (अक्षरे पच्चीस लाख रूपये) की प्रशासनिक व वित्तिय स्वीकृति कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में जारी की जा चुकी है। साथ ही अधिशाषी अभियन्ता द्वारा जरिये पत्रांक अअ/2021–22/535 दिनांक 21.06.2021 के द्वारा ई–निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यकारी समिति के समक्ष प्रकरण प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार जोनल डवलपमेन्ट प्लान के कार्य की जारी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन करने करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: जोधपुर नगरीय क्षेत्र में चिन्हित 3 ग्रोथ सेन्टर्स (बावडी, मथानिया व तिंवरी) के जोनल डवलपमेन्ट प्लान बनाए जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति के संबंध में।

प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है।	जोधपुर नगरीय क्षेत्र में चिन्हित 3 ग्रोथ सेन्टर्स (बावडी, मथानिया व तिंवरी) के डवलपमेन्ट प्लान बनाए जाने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति लिया जाना प्रस्तावित है।

मान्नीय उच्च न्यायालय तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर प्रदत्त निर्देशों के कम में प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में जोनल डवलपमेन्ट प्लान बनाए जाने का कार्य प्रक्रियाधीन हैं। वर्तमान में जोधपुर रीजन मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 दिनांक 18.02.2021 को अनुमोदित किया जा चुका है। उक्त मास्टर प्लान में संलग्न मानचित्र अनुसार 3 ग्रोथ सेन्टर्स (बावडी, मथानिया व तिंवरी) के डवलपमेन्ट प्लान बनाये जाने हेतु UAV ड्रोन सर्वे द्वारा कार्य की निविदा आमंत्रित किये जाने हेतु 70,50,000/– (अक्षरे सत्तर लाख पचास हजार रूपये) की प्रशासनिक व वित्तिय स्वीकृति लिया जाना प्रस्तावित है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रकरण प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव संख्या 08 :: खसरा नम्बर 69/2 ग्राम मथानिया में कन्या महाविद्यालय को भूमि आवंटन के संबंध में

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	ग्राम मथानिया में कन्या महाविद्यालय को भूमि आवंटन के संबंध में	खसरा नम्बर 69/2 ग्राम मथानिया में कन्या महाविद्यालय को भूमि आवंटन के संबंध में

कन्या महाविद्यालय को खसरा संख्या 69/2 ग्राम मथानिया में 10 एकड़ भूमि का आवंटन राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2019–20 के अंतर्गत किया जाना है।

पटवारी एवं भू –निरिक्षक अनुसार मौका रिपोर्ट दिनांक 22.8.2019 के द्वारा ग्राम मथानिया के खसरा नम्बर 69/2 रकबा 35.00 बीघा किस्म गै.मु. गौचर बताया गया है उक्त भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज होना बताया गया एवं मौके पर उक्त भूमि खाली होना बताया गया है। जिसे कन्या महाविद्यालय को आवंटित की जा सकती है।

कार्यालय पत्र क्रमांक 106 दिनांक 22.8.2019 के द्वारा उक्त खसरा भूमि का न्यायालय में किसी प्रकार का वाद विवाद संबंधी रिपोर्ट विधि शांखा से प्राप्त करने हेतु लिखा गया विधि शाखा का पत्र दिनांक 27.8.2019 के अनुसार खसरा न 69/2 में किसी प्रकार का प्रकरण न्यायालय में लम्बित होना नही बताया गया है। इसी प्रकार आयोजना शाखा का पत्र दिनांक 26.8.2019 के द्वारा उपरोक्त खसरा का भू–उपयोग ग्रामीण ऐरिया बताया गया है एवं ग्रामीण ऐरिया की डीसीआर को प्राधिकरण की बैठक में संसोधन हेतु निणयार्थ रखा गया है। कार्याकारी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में न्युनतम 100 फीट सड़क पर कॉलेज परियोजनार्थ गतिविधिया को अनुज्ञेय बताया गया है।

श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय) के पत्र दिनांक 5.4.2021 के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 3.9.2019 के बिन्दु संख्या 32 के निर्णय अनुसार महाविद्यालय को भूमि कीमतन/ निःशुल्क आवंटन के संबंध में स्पष्टता नही होने के कारण जानकारी चाही गई थी। जिसके प्रत्युत्र में दिनांक 16.4.2021 को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 715 द्वारा सूचना प्रेषित की

जा चुकी है। कार्यकारी समिति दिनांक 3.9.2019 की बैठक बिन्दु संख्या 32 के निर्णय में कही भी महाविद्यालय को भूमि कीमतन/निःशुल्क देने का विवरण स्पष्ट नही है। संयुक्त निदेशक क्षेत्रीय कॉलेज शिक्षा विभाग जोधपुर के पत्र क्रमांक 1898 दिनांक 24.3.2021 के द्वारा महाविद्यालय को निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की हैं। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक 717 दिनांक 11.6.2021 के द्वारा आगामी कार्यकारी समिति में अनुमोदन की प्रत्याशा में उक्त प्रकरण राज्य सरकार को वास्ते भूमि आवंटन प्रेषित किया जा चुका है व राज्य सरकार द्वारा उक्त अनुमोदन की प्रत्यशा में निःशुल्क आवंटन पर निर्णय लिया जाकर एवं जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031 के प्रावधानानुसार न्युनतम 100 फीट चौड़े मार्गाधिकार की सुनिश्चतता जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर सुनिश्चत किये जाने की शर्त पर एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

अतः कन्या महाविद्यालय को खसरा संख्या 69/2 ग्राम मथानिया में रकबा 35.00 मे से 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटन के संबंध में प्राधिकरण की कार्याकारी समिति की बैठक में वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

Scanned with CamScanner

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार कन्या महाविद्यालय को खसरा संख्या 69/2 ग्राम मथानिया में रकबा 35.00 में से 10 एकड भूमि निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 09 :: ग्राम पंचायत रजासनी, के खसरा संख्या 47 किस्म गै. मु. ओरण में पंचायत भवन के निर्माण हेतु आवंटन के संबंध मे।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1	ग्राम पंचायत भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध मे।	ग्राम पंचायत रजासनी, के खसरा संख्या 47 किस्म गै. मु. ओरण में पंचायत भवन के निर्माण हेतु आवंटन के संबंध मे।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जोधपुर के द्वारा आवंटन नीति–2015 के अनुरूप प्रपत्र ''स'' में आवेदन पेश कर जोधपुर में ग्राम पंचायत रजासनी के खसरा संख्या 47 रकबा 27.18 बीघा किसम गै.मु. ओरण में पंचायत भवन निर्माण हेतु 5 बीघा भूमि आवंटन की मांग की गई है।

जोन राजस्व टीम के रिपोर्ट अनुसार ग्राम रजासनी के खसरा संख्या 47 रकबा 27.18 बीघा किस्म गै.मु. ओरण राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। उक्त भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की है

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 47 ग्राम रजासनी का भू–उपयोग मास्टर प्लान 2031 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र भू–उपयोग में आरक्षित है। गोरमेंट एवं पब्लिक युटिलिटीज को Permissioble of all roads afterapproval from comptent authority अंकित है। आयोजना शाखा में उपलब्ध आपत्ति/सुझाव विशलेषण मास्टर प्लान 2031 ड्राफट अनुसार उक्त खसरा विशेष पर आपत्ति प्राप्त नही हुई है। भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) बैठक दिनांक 24.3.2031 के एजेण्डा संख्या 30 में खसरा संख्या 47 ग्राम रजासनी ग्राम पंचायत भवन उपयोग अनुज्ञेय किये जाने का निर्णय लिया गया है।

विधि शाखा के उच्च /अधीनस्त/राजस्व सिविल न्यायालय के पेडिग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा संख्या 47 ग्राम पंचायत रजासनी की भूमि से संबंधित कोई वाद लम्बित नही है।

प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 703 दिनांक 5.4.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्रधिकरण की बैबसाईट पर आम जन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्युनतम 15 दिवस के लिये अपलोड किया जा चुका है। आपत्ति अपलोड के 15 दिवस बीत चुके है, कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है।

सयुंक्त शासन सचिव –प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ3/(55)नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अन्तर्गत राजस्थान के नगरीय निकायो (विकास प्राधिकरणो, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासो, नगर निगमों/परिषदो /मण्डलों) को निर्देश दिये जाते है कि किसी भी संस्था को या चाहे व सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चेरीटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नही की जावे चाहे व आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावे।

Scanned with CamScanner

अतः ग्राम रजासनी के खसरा संख्या 47 रकबा 27.18 बीघा किस्म गै.मु. ओरण में पंचायत भवन हेतु 1000 वर्गमीटर निःशुल्क/कीमतन भूमि आवंटन व राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति बैठक में रखा जाने वास्ते निर्णयार्थ/अनुमोदनार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार ग्राम रजासनी के खसरा संख्या 47 रकबा 27.18 बीघा किस्म गैर मुमकिन ओरण में पंचायत भवन हेतु 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने की कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ प्रकरण में आवंटन की सक्षम स्वीकृति जारी करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 10 :: ग्राम पंचायत आकथली के खसरा संख्या 313 किस्म गै.मु. गोचर में नवीन पंचायत भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम पंचायत आकथली के खसरा संख्या 313 में नवीन पंचायत भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जोधपुर के द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर ग्राम पंचायत आकथली के खसरा संख्या 313 किस्म गै.मु. गोचर में नवीन पंचायत भवन निर्माण हेतु 05 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम आकथली के खसरा सख्या 313 रकबा 43.15 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन योग्य भूमि रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 313 ग्राम आकथली का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार ग्रामीण एरिया में स्थित है व मास्टर प्लान सड़क से प्रभावित नहीं है। आयोजना शाखा में उपलब्ध आपत्ति सुझाव विश्लेषण एमडीपी–2031 के अनुसार उक्त खसरा विशेष पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 04.07.2019 व प्राधिकरण बैठक दिनांक 02.08.2019 में अनुमोदित ग्रामीण एरिया डीसीआर अनुसार गर्वमेन्ट/सैमीगर्वमेन्ट उपयोग हेतु पृथक से उल्लेख नहीं है। पब्लिक यूटिलिटिज को Permissible on all roads after approval from competent authority दर्शाया गया है। जिसके क्रम में प्राधिकरण की सक्षम ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 24.03.2021 के एजेण्डा सख्या 31 में समिति द्वारा मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 में उल्लेख अनुसार Government/Public Utilities are Permissible on all roads after approval from competent authority के क्रम में व्यापक जनहित में उक्त भूमि का मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 अनुसार मिश्रित भू–उपयोग, ग्रामीण क्षेत्र, आवासीय, यू–2 भू–उपयोग में ग्राम पंचायत भवन उपयोग अनुज्ञेय किया जाने का निर्णय लिया गया। अतः आवेदित भूमि मास्टर प्लान में अंकित भू–उपयोग के अंतर्गत अनुज्ञेय है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 313 ग्राम आकथली की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 42 दिनांक 23.12.2020 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है। दिनांक 19.12.2020 को श्री सोहनलाल पंवार द्वारा गोचर भूमि के आवंटन के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति के संबंध में निवेदन है कि पूर्व में भी जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर/नगरीय विकास विभाग द्वारा व्यापक जनहित में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ गोचर भूमि का आवंटन किया जाता रहा है।

Scanned with CamScanner

पूर्व में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 05.02.2021 के प्रस्ताव संख्या 25 में नवीन पंचायत भवन निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने की अनुशंषा की गई है। जिसमें सहवन से उक्त निर्णय में निःशुल्क भूमि आवंटन का अंकन शेष रह गया। नवीन पंचायत भवन निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय प्राधिकरण की आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रकरण आवश्यक दस्तावेजो की पूर्ति करते हुये पुनः अनुशंषा सहित नगरीय विकास विभाग को दिनांक 20.06.2021 को प्रेषित किया गया है।
अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष अनुमोदन की प्रत्याशा में की गई कार्यवाही के अनुमोदन/पुष्टि हेतु उचित निर्णयार्थ पेश है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही का अनुमोदन/पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: ग्राम पंचायत धिगांणा के खसरा संख्या 192 किस्म बारानी–चतुर्थ में नवीन पंचायत भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/ टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम पंचायत धिगांणा के खसरा संख्या 192 में नवीन पंचायत भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जोधपुर के द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर जोधपुर में ग्राम पंचायत धिगांणा के खसरा संख्या 192 किस्म बारानी–चतुर्थ में पंचायत भवन निर्माण हेतु 05 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम धिगांणा के खसरा सख्या 192 रकबा 86.13 बीघा किस्म बारानी–चतुर्थ राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन योग्य भूमि रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 192 ग्राम धिगांणा का भू–उपयोग ग्रामीण एरिया में स्थित है व खसरा विशेष पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) ग्रामीण एरिया डीसीआर अनुसार पब्लिक यूटिलिटिज को Permissible on all roads after approval from competent authority दर्शाया है। गर्वमेन्ट/सैमीगर्वमेन्ट उपयोग हेतु पृथक से उल्लेख नहीं है। जिसके क्रम में प्राधिकरण की सक्षम ले–आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 24.03.2021 के एजेण्डा सख्या 31 में समिति द्वारा मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 में उल्लेख अनुसार Government/Public Utilities are Permissible on all roads after approval from competent authority के क्रम में व्यापक जनहित में उक्त भूमि का मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 अनुसार मिश्रित भू–उपयोग, ग्रामीण क्षेत्र, आवासीय, यू–2 भू–उपयोग में ग्राम पंचायत भवन उपयोग अनुज्ञेय किया जाने का निर्णय लिया गया। अतः आवेदित भूमि मास्टर प्लान में अंकित भू–उपयोग के अंतर्गत अनुज्ञेय है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 192 ग्राम धिगांणा की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 38 दिनांक 23.12.2020 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

Scanned with CamScanner

पूर्व में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 05.02.2021 के प्रस्ताव संख्या 24 में नवीन पंचायत भवन निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने की अनुशंषा की गई है। जिसमें सहवन से उक्त निर्णय में निःशुल्क भूमि आवंटन का अंकन शेष रह गया। नवीन पंचायत भवन निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय प्राधिकरण की आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रकरण आवश्यक दस्तावेजो की पूर्ति करते हुये पुनः अनुशंषा सहित नगरीय विकास विभाग को दिनांक 20.06.2021 को प्रेषित किया गया है।
अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष अनुमोदन की प्रत्याशा में की गई कार्यवाही के अनुमोदन/पुष्टि हेतु उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही का अनुमोदन/पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: ग्राम पंचायत सिणली के खसरा संख्या 81 किस्म गै.मु. गोचर में नवीन पंचायत भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबघं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/ टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम पंचायत सिणली के खसरा संख्या 81 में नवीन पंचायत भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जोधपुर के द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर जोधपुर में ग्राम पंचायत सिणली के खसरा संख्या 81 किस्म गै.मु गोचर में पंचायत भवन निर्माण हेतु 05 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम सिणली के खसरा सख्या 81 रकबा 298.03 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन योग्य भूमि रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 81 ग्राम सिणली का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ दर्शाया गया है। आवासीय डीसीआर अनुसार गर्वमेन्ट एवं पब्लिक यूटिलिटिज को Permissible on all roads after approval from competent authority अंकित है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 81 ग्राम सिणली की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 696 दिनांक 22.12.2020 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों (विकास प्राधिकरणों, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों, नगर निगमों/परिषदों/मण्डलों) को निर्देश दिये जाते है कि किसी भी संस्था को चाहे वह सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नहीं की जावे, चाहे वह आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावें।

Scanned with CamScanner

पूर्व में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 05.02.2021 के प्रस्ताव संख्या 22 में नवीन पंचायत भवन निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने की अनुशंषा की गई है। जिसमें सहवन से उक्त निर्णय में निःशुल्क भूमि आवंटन का अंकन शेष रह गया। नवीन पंचायत भवन निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय प्राधिकरण की आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रकरण आवश्यक दस्तावेजो की पूर्ति करते हुये पुनः अनुशंषा सहित नगरीय विकास विभाग को दिनांक 20.06.2021 को प्रेषित किया गया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष अनुमोदन की प्रत्याशा में की गई कार्यवाही के अनुमोदन/पुष्टि हेतु उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही का अनुमोदन/पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: ग्राम पंचायत सर के खसरा संख्या 187 किस्म गै.मु. गोचर में नवीन पंचायत भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

क्र. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/ टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम पंचायत सर के खसरा संख्या 187 में नवीन पंचायत भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जोधपुर के द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर जोधपुर में ग्राम पंचायत सर के खसरा संख्या 187 किस्म गै.मु गोचर में पंचायत भवन निर्माण हेतु 05 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम सर के खसरा सख्या 187 रकबा 610.12 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन योग्य भूमि रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 187 ग्राम सर का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ दर्शाया गया है। आवासीय डीसीआर अनुसार गर्वमेन्ट एवं पब्लिक यूटिलिटिज को Permissible on all roads after approval from competent authority अंकित है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 187 ग्राम सर की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 694 दिनांक 22.12.2020 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों (विकास प्राधिकरणों, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों, नगर निगमों/परिषदों/मण्डलों) को निर्देश दिये जाते है कि किसी भी संस्था को चाहे वह सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नहीं की जावे, चाहे वह आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावें।

Scanned with CamScanner

पूर्व में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 05.02.2021 के प्रस्ताव संख्या 20 में नवीन पंचायत भवन निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने की अनुशंषा की गई है। जिसमें सहवन से उक्त निर्णय में निःशुल्क भूमि आवंटन का अंकन शेष रह गया। नवीन पंचायत भवन निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय प्राधिकरण की आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रकरण आवश्यक दस्तावेजो की पूर्ति करते हुये पुनः अनुशंषा सहित नगरीय विकास विभाग को दिनांक 20.06.2021 को प्रेषित किया गया है।
अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष अनुमोदन की प्रत्याशा में की गई कार्यवाही के अनुमोदन/पुष्टि हेतु उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही का अनुमोदन/पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: ग्राम पंचायत भाण्डूखुर्द के खसरा संख्या 71 किस्म गै.मु. गोचर में नवीन पंचायत भवन के निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

क. स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	ग्राम पंचायत भाण्डूखुर्द के खसरा संख्या 71 में नवीन पंचायत भवन प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जोधपुर के द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर जोधपुर में ग्राम पंचायत भाण्डूखुर्द के खसरा संख्या 71 किस्म गै.मु गोचर में पंचायत भवन निर्माण हेतु 05 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम की मौका रिपोर्ट अनुसार ग्राम भाण्डूखुर्द के खसरा सख्या 71 रकबा 247.06 बीघा किस्म गै.मु. गोचर राजस्व रेकर्ड में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। मौके पर आवंटन योग्य भूमि रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 71 ग्राम भाण्डूखुर्द का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है। औद्योगिक की डीसीआर अनुसार गर्वमेन्ट एवं पब्लिक यूटिलिटिज को Permissible on all roads after approval from competent authority अंकित है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा सख्या 71 ग्राम भाण्डूखुर्द की भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 698 दिनांक 22.12.2020 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों (विकास प्राधिकरणों, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों, नगर निगमों/परिषदों/मण्डलों) को निर्देश दिये जाते है कि किसी भी संस्था को चाहे वह सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नहीं की जावे, चाहे वह आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावें।

Scanned with CamScanner

पूर्व में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 05.02.2021 के प्रस्ताव संख्या 21 में नवीन पंचायत भवन निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने की अनुशंषा की गई है। जिसमें सहवन से उक्त निर्णय में निःशुल्क भूमि आवंटन का अंकन शेष रह गया। नवीन पंचायत भवन निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने का निर्णय प्राधिकरण की आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रकरण आवश्यक दस्तावेजो की पूर्ति करते हुये पुनः अनुशंषा सहित नगरीय विकास विभाग को दिनांक 20.06.2021 को प्रेषित किया गया है।
अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष अनुमोदन की प्रत्याशा में की गई कार्यवाही के अनुमोदन/पुष्टि हेतु उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तावानुसार प्रकरण में अब तक की गई कार्यवाही का अनुमोदन/पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: अधिशाषी अभियंता जोन दक्षिण के अधीन गैर–राजकीय भूमि, अधिक एवं अतिरिक्त कार्यों के भुगतान के अधिक एवं अतिरिक्त राशि स्वीकृति का प्रस्ताव।

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	प्राधिकरण के जोन दक्षिण के अधीन गैर– राजकीय भूमि, अधिक एवं अतिरिक्त कार्यों के भुगतान के अधिक एवं अतिरिक्त राशि स्वीकृति का प्रस्ताव।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गैर राजकीय भूमि, अधिक एंव अतिरिक्त कार्यो एंव स्थान परिवर्तन कर कराये गये कार्यो के भुगतान के संबंध में निदेशक अभियांत्रिकी महोदय द्वारा पत्र क्रमांक डीई/2019/1908 दिनांक 08.03.2019 एवं 2441 दिनांक 06.03.2020 द्वारा नगरीय विकास विभाग राज, जयपुर से निर्देश/स्वीकृति चाही गई थी। उक्त पत्रो के संबंध में श्रीमान संयुक्त शासन सचिव द्वितीय नगरीय विकास विभाग राज. जयपुर को अपने संदर्भित पत्र द्वारा गैर राजकीय भूमि पर कराये कार्यो की तथा स्थान परिवर्तन कर अन्यत्र कार्य करवाये जाने के क्रम में जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.11.2020 की अनुशंषा अनुसार प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। तथा संदर्भित पत्र के अनुसार प्राधिकरण द्वारा विभिन्न कार्यों में अतिरिक्त व अधिक कार्य हेतु तत्समय प्रचलित एस.ओ.पी तथा वित विभाग के आदेश दिनांक 24.01.2013, 04.09.2013 एवं 16.02.2018 की समयावधि में लागू आदेशों के अनुक्रम में तथा गठित कमेटी दिनांक 05.06.2020 प्राधिकरण कार्य समिति की बैठक दिनांक 25.11.2020 की अनुशंषा के आधार पर नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प10(01)नविवि/2003 पार्ट दिनांक 10.03.2021 द्वारा प्राधिकरण द्वारा अपनी सक्षमता में नियमित किया जा सकता है।

(1) अतिरिक्त कार्यों की सूचीः–

क्र सं	कार्य का नाम	अनुबंध सं/वर्ष	संवेदक का नाम	अतिरिक्त राशि(रू)	अतिरिक्त राशि प्रतिशत
1	रोहिचा खुर्द से धुन्धाड़ा पिपरली जंक्शन तक सम्पर्क सड़क निर्माण कार्य	92/2012–13	मैसर्स चौधरी बद्रर्स	2141980.48	19.99

Scanned with CamScanner

2	ग्राम सालावास में स्थित श्री यादे माता मन्दिर परिसर में हॉल शौचालय का निर्माण कार्य	121/2012–13	मैसर्स रिद्वि सिद्वि कन्स.	581474.54	30.90

(2) अधिक कार्यों की सूचीः–

क्र सं	कार्य का नाम	अनुबंध सं/वर्ष	संवेदक का नाम	अधिक राशि(रू)	अतिरिक्त राशि प्रतिशत
1	ग्राम सालावास में स्थित श्री यादे माता मन्दिर परिसर में हॉल शौचालय का निर्माण कार्य	121/2012–13	मैसर्स रिद्वि सिद्वि कन्स.	624142.78	33.17

अतः कार्यकारी समिति की बैठक में "अधिशाषी अभियंता जोन दक्षिण के अधीन गैर– राजकीय भूमि, अधिक एवं अतिरिक्त कार्यों के भुगतान के अधिक एवं अतिरिक्त राशि स्वीकृति का प्रस्ताव सक्षम अनुमोदन व स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16 :: पुलिस लाईन रातानाड़ा के टेनिस कोर्ट में लगी सोड़ियम फ्लड़ लाईटो के स्थान पर एल.ई.ड़ी फ्लड़ लाईट लगाने का कार्य हेतु बजट की प्रत्याशा में जारी प्रशासनिक एवम् वित्तिय स्वीकृति के अनुमोदन बाबत्।

क्रं. सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया हैं।	कार्य की अनुशंषा की जाती हैं।

पुलिस लाईन रातानाड़ा के टेनिस कोर्ट में लगी सोड़ियम फ्लड़ लाईटो के स्थान पर एल.ई.ड़ी फ्लड़ हेतु राशि रू. 5.77 लाख की प्रशासनिक एवम् वित्तिय स्वीकृति बजट की प्रत्याशा में जारी की गई थी। चूंकि प्राधिकरण का वित्तिय वर्ष 2021–22 का बजट पारित होना शेष है। कार्य आवश्यक प्रकृति का होने के कारण बजट की प्रत्याशा में A&F जारी की गई थी।

अतः प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष बजट की प्रत्याशा में जारी प्रशासनिक एवम् वित्तिय स्वीकृति की अनुमोदन हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की स्वीकृति की प्रत्याक्षा में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 :: AMC & operation of flood light system at bharktullah khan stadium, Jodhpur के कार्य हेतु बजट की प्रत्याशा में जारी प्रशासनिक एवम् वित्तिय स्वीकृति के अनुमोदन बाबत्।

Scanned with CamScanner

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया हैं।	कार्य की अनुशंषा की जाती हैं।

बरकतुल्ला खां स्टेडियम में लगी फ्लड लाईटों के **AMC & operation** हेतु राशि रू. 48.60 लाख की प्रशासनिक एवम् वित्तिय स्वीकृति बजट की प्रत्याशा में जारी की गई थी। चूंकि प्राधिकरण का वित्तिय वर्ष 2021-22 का बजट पारित होना शेष है। कार्य आवश्यक प्रकृत्ति का होने के कारण बजट की प्रत्याशा में A&F जारी की गई थी।

अतः प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष बजट की प्रत्याशा में जारी प्रशासनिक एवम् वित्तिय स्वीकृति की अनुमोदन हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की स्वीकृति की प्रत्याक्षा में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 18 :: Fire Fighting work for North Block at bharktullah khan stadium at Jodhpur के कार्य हेतु बजट की प्रत्याशा में जारी प्रशासनिक एवम् वित्तिय स्वीकृति के अनुमोदन बाबत्।

क्र. सं.	प्रभारी अधिकारी एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो व कार्यालय टिप्पणी अनुसार कोई तथ्य नहीं छिपाया गया हैं।	कार्य की अनुशंषा की जाती हैं।

बरकतुल्ला खां स्टेडियम में North Block में Fire Fighting कार्य हेतु राशि रू. 26.00 लाख की प्रशासनिक एवम् वित्तिय स्वीकृति बजट की प्रत्याशा में जारी की गई थी। चूंकि प्राधिकरण का वित्तिय वर्ष 2021-22 का बजट पारित होना शेष है। कार्य आवश्यक प्रकृत्ति का होने के कारण बजट की प्रत्याशा में A&F जारी की गई थी।

अतः प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष बजट की प्रत्याशा में जारी प्रशासनिक एवम् वित्तिय स्वीकृति की अनुमोदन हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की स्वीकृति की प्रत्याक्षा में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 19 :: मोहम्मद इमरान पुत्र श्री मोहम्मद सदीक भूखण्ड संख्या 103 न्यू बकरा मण्डी कुरेशी नगर योजना ग्राम चौखा के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने के बाबत् ।

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के सम्बन्ध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी के एजेण्डा के सम्बन्ध में अभिशंषा / प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवम् टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है । JDA/FTS/85032	भूखण्ड के बदले अन्य अन्य भूखण्ड आवंटन करने की सक्षम की सक्षम स्वीकृति हेतु ।

तात्कालीन कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा भूखण्ड संख्या 103 न्यू बकरा मण्डी कुरेशी नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर क्षैत्रफल 116.12 वर्गमीटर का आवंटन दिनांक 05.04.2006 को श्री मो. इमरान पुत्र श्री मो. सदीक को आवंटन किया गया । प्रार्थी द्वारा भूखण्ड की कीमत राशि रूपये 44,478/– जरिये रसीद संख्या 2006/94 दिनांक 15.05.2007 निर्धारित समयावधि में जमा करवा दी गई । प्राधिकरण द्वारा प्रार्थी को भूखण्ड की लीजडीड दिनांक 24.06.2011 को श्री मो. इमरान पुत्र श्री मो. सदीक के नाम जारी की गई ।

श्री मो. इमरान द्वारा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 15.10.2019 को पेश कर बताया कि उसे आवंटित भूखण्ड संख्या 103 न्यू बकरा मण्डी कुरेशी नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर के समीप जन स्वास्थ्य विभाग अभियांत्रिकी की लगभग 18 इंच बडी पाईप लाईन गुजर रही है । साथ ही मेरा भूखण्ड सडक की निर्धारित चौडाई से भी प्रभावित हो रहा है । इसक कारण में भूखण्ड पर निर्माण कार्य नहीं करवा सकता हूँ । प्रार्थी द्वारा इसी योजना में वैकल्पिक भूखण्ड संख्या 188 आवंटित करने की मांग की गई ।

इसी योजना में पाईप लाईन वं सडक से प्रभावित भूखण्डों को पूर्व में हुई कार्यकारी समिति की बैठको में समकक्ष वैकल्पिक भूखण्डो का आवंटन किया जा चुका है ।

श्री मो. इमरान को आवंटित भूखण्ड संख्या 103 न्यू बकरा मण्डी कुरेशी नगर योजना की पत्रावली में कनिष्ठ अभियन्ता से वर्तमान मौका रिपोर्ट मंगवाई गई । कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट अनुसार योजना में भूखण्ड संख्या 95 के बाद के बाद 108 तक सडक सीमा एवं पी.एच.ई.डी. की पाईप लाईन में आते है । मौके पर भूख्ण्ड संख्या 103 उपलब्ध नहीं हो रहा है ।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष अन्य भूखण्ड आवंटित करने हेतु विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में प्रस्तावानुसार भूखण्ड आवंटन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जावे तथा यदि आपतित/सुझाव प्राप्त नहीं होते तो उपरोक्त प्रस्तावानुसार आवंटन की कार्यवाही की जावे एवं यदि कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त होते हैं तो उक्त आपत्ति/सुझाव के संबंध में स्पष्ट टिप्पणी सहित प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 20 :: सेवानिवृत कार्मिको की सेवा अवधि आगामी एक वर्ष के लिए अभिवृद्धि हेतु।

प्राधिकरण कार्यालय आदेश क्रमांक 1284–1293 दिनांक 08.07.2020 के द्वारा, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ–17 (10) डीओपी/ए–II/94 दिनांक 08.02.2018 के अनुक्रम में, प्राधिकरण में रिक्त पदो के विरूद्ध निम्नलिखित सेवानिवृत कार्मिकों की सेवाए समेकित पारिश्रमिक के आधार पर ली गई :–

Scanned with CamScanner

क्र.सं.	सेवानिवृत कार्मिक का नाम	सेवानिवृत पदनाम	उपस्थिति तिथि	सेवा समाप्ति तिथि
01.	श्री सतीश मूथा	वरिष्ठ सहायक	08.07.2020	07.07.2021
02.	श्री घनश्याम शर्मा	वरिष्ठ सहायक	09.07.2020	08.07.2021
03.	श्री मेहबूब खां	कनिष्ठ सहायक	08.07.2020	07.07.2021
04.	श्री रामदेव	गैंगमेन	08.07.2020	07.07.2021

एक अन्य आदेश क्रमांक 260–281 दिनांक 01.07.2020 के द्वारा निम्नलिखित सेवानिवृत कार्मिक की सेवाए समेकित पारिश्रमिक के आधार पर ली गई :–

क्र.सं.	सेवानिवृत कार्मिक का नाम	सेवानिवृत पदनाम	उपस्थिति तिथि	सेवा समाप्ति तिथि
01.	श्री बजरंग सिंह	सहायक लेखाधिकारी	01.07.2020	30.06.2021

कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र अनुसार 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत कार्मिको को प्रशासनिक विभाग के पूर्व अनुमोदन से एक वर्ष या रिक्त पद भरने की अवधि तक जो भी पहले हो, के लिए निर्धारित पारिश्रमिक पर रखा जा सकेगा। जिसे प्रशासनिक विभाग की आज्ञा से एक वर्ष की अवधि के लिए और विस्तारित किया जा सकेगा। दो वर्ष पश्चात् संविदा पर पुर्ननियुक्ति की अवधि में अभिवृद्धि कार्मिक एवं वित विभाग की पूर्व सहमति से की जा सकने का उल्लेख हैं।

वर्तमान में प्राधिकरण में वरिष्ठ सहायक का एक भी पद रिक्त नहीं हैं, अतः उपरोक्त उल्लेखित सेवानिवृत वरिष्ठ सहायक की सेवाए मंत्रालयिक कार्मिको (कनिष्ठ लिपिको के अत्यधिक पद रिक्त होने के कारण) के रिक्त पदो के मध्यनजर स्टेनोग्राफर के रिक्त पदो के विरूद्ध तथा श्री मेहबूब खां, सेवानिवृत कनिष्ठ सहायक की सेवाए कनिष्ठ सहायक के रिक्त के विरूद्ध एवं श्री रामदेव, गैंगमेन की सेवाए चतुर्थ श्रैणी कर्मचारी की रिक्त पद के विरूद्ध एक वर्ष की अवधि अथवा प्राधिकरण को इनकी सेवाओ की अवाश्यकता, जो भी पहले हो, सेवा अभिवृद्धि करने बाबत् प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निणयार्थ प्रस्तुत हैं।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 21 :: विभिन्न न्यायालयों में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से पैरवी हेतु निम्न पैनल अधिवक्ता एवं सहायक अधिवक्ता का नियुक्ति प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

क्र. स.	अधिवक्ता का नाम	पता	मो.नं.	न्यायालय जिनके लिए नियुक्ति की जानी है
1.	श्री राजवेन्द्र सारस्वत	भाग्ययोधा, 1–2 श्री राधा माधव नगर, न्यू नागौर रोड़, जोधपुर	9829098210	उच्च न्यायालय, जोधपुर
2.	श्री दीप सिंह	जोगमाया मंदिर रोड़, मदेरणा	9413253634	राजस्व न्यायालय,

क्र.सं.	सेवानिवृत कार्मिक का नाम	सेवानिवृत पदनाम	उपस्थिति तिथि	सेवा समाप्ति तिथि
01.	श्री सतीश मूथा	वरिष्ठ सहायक	08.07.2020	07.07.2021
02.	श्री घनश्याम शर्मा	वरिष्ठ सहायक	09.07.2020	08.07.2021
03.	श्री मेहबूब खां	कनिष्ठ सहायक	08.07.2020	07.07.2021
04.	श्री रामदेव	गैंगमेन	08.07.2020	07.07.2021

एक अन्य आदेश क्रमांक 260-281 दिनांक 01.07.2020 के द्वारा निम्नलिखित सेवानिवृत कार्मिक की सेवाए समेकित पारिश्रमिक के आधार पर ली गई :–

क्र.सं.	सेवानिवृत कार्मिक का नाम	सेवानिवृत पदनाम	उपस्थिति तिथि	सेवा समाप्ति तिथि
01.	श्री बजरंग सिंह	सहायक लेखाधिकारी	01.07.2020	30.06.2021

कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र अनुसार 65 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत कार्मिको को प्रशासनिक विभाग के पूर्व अनुमोदन से एक वर्ष या रिक्त पद भरने की अवधि तक जो भी पहले हो, के लिए निर्धारित पारिश्रमिक पर रखा जा सकेगा। जिसे प्रशासनिक विभाग की आज्ञा से एक वर्ष की अवधि के लिए और विस्तारित किया जा सकेगा। दो वर्ष पश्चात् संविदा पर पुर्ननियुक्ति की अवधि में अभिवृद्धि कार्मिक एवं वित विभाग की पूर्व सहमति से की जा सकने का उल्लेख हैं।

वर्तमान में प्राधिकरण में वरिष्ठ सहायक का एक भी पद रिक्त नहीं हैं, अतः उपरोक्त उल्लेखित सेवानिवृत वरिष्ठ सहायक की सेवाए मंत्रालयिक कार्मिको (कनिष्ठ लिपिको के अत्यधिक पद रिक्त होने के कारण) के रिक्त पदो के मध्यनजर स्टेनोग्राफर के रिक्त पदो के विरूद्ध तथा श्री मेहबूब खां, सेवानिवृत कनिष्ठ सहायक की सेवाए कनिष्ठ सहायक के रिक्त के विरूद्ध एवं श्री रामदेव, गैंगमेन की सेवाए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की रिक्त पद के विरूद्ध एक वर्ष की अवधि अथवा प्राधिकरण को इनकी सेवाओ की अवाश्यकता, जो भी पहले हो, सेवा अभिवृद्धि करने बाबत् प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष उचित निणयार्थ प्रस्तुत हैं।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हैं।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 21 :: विभिन्न न्यायालयों में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की ओर से पैरवी हेतु निम्न पैनल अधिवक्ता एवं सहायक अधिवक्ता का नियुक्ति प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

क्र.स.	अधिवक्ता का नाम	पता	मो.नं.	न्यायालय जिनके लिए नियुक्ति की जानी है
1.	श्री राजवेन्द्र सारस्वत	भाग्ययोधा, 1–2 श्री राधा माधव नगर, न्यू नागौर रोड़, जोधपुर	9829098210	उच्च न्यायालय, जोधपुर
2.	श्री दीप सिंह	जोगमाया मंदिर रोड़, मदेरणा	9413253634	राजस्व न्यायालय,

Scanned with CamScanner

	भाटी	कॉलोनी, जोधपुर		जोधपुर
3.	श्री जयपाल सिंह राठौड़	भू.स. 113 जेडएसए बीजेएस कॉलोनी, जोधपुर	9828035456	अधीनस्थ न्यायालय, जोधपुर

क्र.स	सहायक अधिवक्ता का नाम	पता	मो.नं.	न्यायालय
	श्री जुगल किशोर सेवग	रावटी रोड़, सूरसागर, जोधपुर	9829399543	अधीनस्थ न्यायालय, जोधपुर

उक्तानुसार विभिन्न अधिवक्ताओं व सहायक अधिवक्ता का प्राधिकरण की ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता नियुक्ति प्रस्ताव प्रस्तावित है। पैरवी हेतु फीस एवं खर्चे प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नियमानुसार देय होंगे तथा कार्यकारी समिति द्वारा स्वीकृत अधिवक्ताओं के नियुक्त आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए उपरोक्तानुसार अधिवक्ताओं को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 22 :: नवीन गठित ग्राम पंचायत भवन हेतु खसरा नं. 62/5 ग्राम ईमामनगर तहसील लूणी रकबा 2.10 बीघा भूमि आवंटन हेतु।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबधं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	नवीन गठित ग्राम पंचायत भवन हेतु खसरा नं. 62/5 ग्राम ईमामनगर तहसील लूणी रकबा 2.10 बीघा भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति–2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र–स' में आवेदन पेश कर नवीन गठित ग्राम पंचायत भवन हेतु ग्राम ईमामनगर तहसील लूणी खसरा नं. 62/5 रकबा 2.10 बीघा किस्म बारानी–तृतीय में भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार राजस्व पटवारी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी अनुसार ईमामनगर के खसरा संख्या 62/5 रकबा 2.10 बीघा जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 62/5 ग्राम ईमामनगर का भू–उपयोग मास्टर प्लान–2031 (ड्राफ्ट) के अनुसार Rural है। उक्त भूमि मास्टर प्लान की सडक से प्रभावित नही है। प्रष्नगत भूमि ग्रामीण भू–उपयोग में स्थित है तथा मास्टर प्लान से प्रभावित नही है। Rural dh DCR अनुसार Public Utilities को सभी सडके (12 मीटर व 12 मीटर से अधिक) पर अनुज्ञेय किया गया है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा नं. 62/5 ग्राम ईमामनगर रकबा 2.10 बीघा भूमि के सबंध में कोई वाद लंबित नही है।

प्राधिकरण के पत्र कमांक 426 दिनांक 23.06.2021 के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव प्राधिकरण की वेबसाईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है।

Scanned with CamScanner

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 दिनांक 25.11.2016 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों को निःशुल्क आवंटन की शक्तियां प्रत्यायोजित करने के संबंध में राजकीय विभागों को उनके कार्यालय हेतु 1000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां विकास प्राधिकरणों को प्रत्यायोजित की स्वीकृति प्रदान की गई।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम नगरीय विकास विभाग के पत्र कमांक एफ.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट दिनांक 26.11.2020 के आदेशानुसार भूमि आवंटन नीति–2015 के अंतर्गत राजस्थान के नगरीय निकायों (विकास प्राधिकरणों, आवासन मण्डल, नगर सुधार न्यासों, नगर निगमों/परिषदों/मण्डलों) को निर्देश दिये जाते है कि किसी भी संस्था को चाहे वह सरकारी हो या अर्द्धसरकारी हो या चैरिटेबल ट्रस्ट हो, को कोई भूमि राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना आवंटित नहीं की जावे, चाहे वह आवंटन कीमतन हो या रियायती दर पर हो, प्रत्येक प्रकरण में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक रूप से प्राप्त की जावें।

अतः ग्राम ईमामनगर खसरा नं. 62/5 में 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार ग्राम ईमामनगर के खसरा संख्या 62/5 में 1000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन किये जाने की कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ प्रकरण में निःशुल्क आवंटन की सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 23 :: सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिंवरी में भूमि आवंटन हेतु।

क.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबघं में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नही गया है।	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिंवरी में भूमि आवंटन हेतु।

प्रकरण में अपर जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा आवंटन निति 2015 के तहत प्रपत्र स न परिशिष्ट–1 के साथ दस्तावेज संलग्न कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिंवरी के खसरा संख्या 474/6 रकबा 5 बीघा किस्म बा.प्ट में भूमि आवंटन करने की मांग की है।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि मौके पर खाली है तथा उक्त भूमि जेडीए के नाम दर्ज है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उच्च/अधीनस्थ/राजस्व/सिविल न्यायालय के उपलब्ध पेन्डिग आॅनलाईन केस मेनेजमेन्ट सिस्टम के अनुसार राजस्व ग्राम तिंवरी के खसरा संख्या 474/6 रकबा 5 बीघा भूमि से संबंधित कोई वाद लम्बित नहीं है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में मास्टर प्लान 2031 के अनुसार तनतंस ंतमं में आरक्षित है। प्रश्नगत भूमि मास्टर प्लान की 30 मीटर रोड़ पर स्थित है। क्ब् व ितनतंस ंतमं के अनुसार public utilities are allowed on all roads after approval from competent authority.

Scanned with CamScanner

प्राधिकरण की वेबसाईट पर पत्र कमांक :– एफ–46/आवंटन(पश्चिम)/2021/427 दिनांक 23.06.2021 को उजर एतराज हेतु अपलोड भी कराया गया। समयावधि में कोई उजर एतराज आपत्ति प्राप्त होती है तो आपत्ति अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

राज्य सरकार के पत्र कमांक प.3(55)नविवि/3/2002 जयपुर दिनांक 29 अप्रैल 2020 के आदेशानुसार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए 4000 वर्गमीटर तक भूमि निःशुल्क आवंटन करने के निर्देश है।

अतः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिंवरी के खसरा संख्या 474/6 रकबा 4000 वर्गमीटर तक भूमि निःशुल्क आवंटन करने हेतु प्रकरण प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक में विचारार्थ एवं उचित निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तिंवरी के खसरा संख्या 474/6 रकबा 4000 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटन करने की कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को निःशुल्क भूमि आवंटन की सक्षम स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 24 :: अध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त) जोधपुर विकास प्राधिकरण ,जोधपुर के कार्यालय उपयोग हेतु लेपटॉप के सम्बंध मे।

	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
01.	पत्रावली में उपलब्ध कार्यलय टिप्पणीया एंव दस्तावेजों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	अध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त) जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर के कार्यालय उपयोग हेतु खरीद किये गये लेपटॉप की अनुशंषा की जाती है।

कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 21.05.2021 के प्रस्ताव संख्या 3 में आयुक्त और सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर के विडियों कॉन्फ्रेसिंग की सुविधा के लिये 2 (दो) कम्प्युटर व 1 (एक) प्रिन्टर खरीद करने का निर्णय लिया जाकर रूपयें 2.50 लाख की प्रशासनिक एंव वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी। सक्षम स्तर पर प्रिन्टर के स्थान पर अध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त) जोधपुर विकास प्राधिकरण ,जोधपुर के कार्यालय उपयोग हेतु लेपटॉप खरीद करने का निर्णय लिया गया। आयुक्त एंव सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण ,जोधपुर के विडियों कॉन्फ्रेसिंग की सुविधा हेतु कम्प्युटर खरीद करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता (भण्डार) , सहायक लेखाधिकारी (भण्डार) एंव प्रोगामर जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर की समिति का गठन किया गया था।

उक्त समिति द्वारा अध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त), आयुक्त व सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर को कार्यालय उपयोग एंव विडीयों कॉन्फ्रेसिंग की सुविधा के लिये कम्प्युटर एंव लेपटॉप खरीद कर उपलब्ध करवा दिया है।

अतः अध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त), जोधपुर विकास प्राधिकरण ,जोधपुर के कार्यलय उपयोग के लिये खरीद किये गये लेपटॉप की कार्योन्तर स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

Scanned with CamScanner

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 25 :: प्राधिकरण की भण्डार शाखा से बजट वर्ष 2021—22 के अनुमोदन की प्रत्याशा में करवाये गये कार्यो की कार्योन्तर स्वीकृति बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्राधिकरण की भण्डार शाखा से कार्यालय की विभिन्न शाखओं से प्राप्त मांग एंव आवश्यकता अनुसार दिनांक 01.04.2021 से आज दिनांक तक बजट वर्ष 2021—22 की प्रत्याशा में निम्न प्रकार से कार्य करवाये गये है। जिनका सक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है ।

क्र.स	कार्य का नाम	बजट मद	राशि रूपयें
01.	कार्यालय उपयोग हेतु सैनेट्राईजर खरीद का कार्य	5001—12—7—00	25920/—
02.	कार्यालय उपयोग हेतु विभिन्न प्रकार के खर्च	5001—12—7—00	15300/—
03.	पे—पोस्टींग रजिस्ट्रर, स्टॉक रजिस्ट्रर, जी.पी.एफ पोस्टींग रजिस्ट्रर	5001—12—7—00	7940/—
04.	राज्य सरकार को भेजने हेतु वार्षिक प्रतिवेदन	5001—7—2—00	37800/—
05.	कार्यालय उपयोग हेतु सैनेट्राईजर	5001—12—8—00	11760/—
06.	कार्यालय उपयोग हेतु हाईपोक्लोराईड व अन्य	5001—12—8—00	15454/—
07.	मास्क एंव सैनेट्राईजर	5001—12—8—00	17650/—
08.	विडियों कॉन्फ्रेसिंग की सुविधा हेतु कम्प्युटर एंव लेपटॉप	5001—12—8—00	249800/—
09.	मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 छपवाने का कार्य	5001—12—7—00	92400/—
10.	कार्यालय उपयोग हेतु मोबाईल खरीदने का कार्य	5001—12—8—00	25499/—
11.	कार्यालय में इन्टरनेट की सुविधा का कार्य	5001—13—1—00	20000/—
12.	कम्प्युटराईजेशन हेतु U.T.M /FIRWALL लगवाने का कार्य	5001—13—1—00	200000/—
13.	2 कलर प्रिन्टर/फोटो कॉपी मशीन के लोहे का स्टेण्ड व कवर का कार्य		9000/—

उपरोक्तानुसार वर्णित कार्य बजट वर्ष 2021—22 की प्रत्याशा में भण्डार शाखा द्वारा करवाये गये है। कार्यकारी समिति की बैठक में उक्तानुसार विचारार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में कार्योत्तर स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 26 :: जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर वास्ते जोनल डवलपमेन्ट एवं रिजनल प्लान हेतु मानव श्रम उपलब्ध कराने का काय

क्र.सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबध मे घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे मे अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर वास्ते जोनल डवलपमेन्ट एवं रिजनल प्लान हेतु मानव श्रम उपलब्ध कराने का कार्य

Scanned with CamScanner

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर वास्ते जोनल डवलपमेन्ट एवं रिजनल प्लान हेतु मानव श्रम उपलब्ध कराने का कार्य संवेदक के माध्यम से करवाया जाना है जिसके लिये जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति द्वारा मैन पावर हेतु मासिक पारिश्रमिक को आधार लिया गया है। जिसकी दरे निम्नानुसार है :–

क. स.	सेवा का विवरण	अनुमानित संख्या	दर(प्रतिमाह) अनुसलंग्नक – प्रथम के अनुसार G.S.T अतिरिक्त	अनुमानित राशि(वार्षिक आधार पर)	कन्सलटेन्सी फीस(1 से 7.5 प्रतिशत के मध्य) (बोलीदाता द्वारा भरी जानी है)
1	अरबन प्लानर्स	04	35000	1680000	
2	वास्तुविद	04	30000	1440000	
3	जी.आई.एस.ऑपरेटर	08	30000/21000 (योग्यतानुसार)	2880000	
4	ऑटोकेट ऑपरेटर	04	15000	720000	

उक्त मानव श्रम संख्या, दरो की स्वीकृति एवं कार्य की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति राशि रू. 70.00 लाख की कार्यकारी समिति की बैठक से अनुमोदन की प्रत्याशा में उपापन कमेटी द्वारा स्वीकृत की गई थी

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 27 :: "Consultancy Work For Creation/Development and Establishment of Padamshree Kailash Sankhla Smriti Van at 8-Mile, NH-65, Mandore, Jodhpur" की लागत राशि रूपये 40.00 लाख है, की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति टर्म ऑफ रेफ्रेंस अनुमोदन एवं ईओआई जारी करने की स्वीकृति का प्रस्ताव।

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्णीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है। (FTS क्रमांक JDA/FTS/103468)	प्राधिकरण के जोन उतर द्वारा कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति टर्म ऑफ रेफ्रेंस अनुमोदन एवं ईओआई जारी करने की स्वीकृति का प्रस्ताव।

उपरोक्त विषय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण वितीय वर्ष 2021–22 के घोषणा संख्या 204 अनुसार जोधपुर में 8 मील पर स्थित वन विभाग की भूमि पर, जयपुर की तर्ज पर 20 करोड़ रूपये की लागत से वॉकिंग ट्रेक, योगापार्क, हर्बल गार्डन इत्यादि सुविधायुक्त 'पदमश्री कैलाश सांखला स्मृति वन' स्थापित करवाया जाना के प्रस्ताव के क्रम में उक्त कार्य हेतु कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर के संशोधित बैठक कार्यवाही विवरण क्रमांक एफ( )विकास/मुवसंजो/2021/2830 दिनांक 14.06.2021 के द्वारा वन विभाग एवं नगरीय विकास विभाग की स्वीकृति/सहमति प्राप्त होने पर सिविल कार्य हेतु डीपीआर के अनुसार वांछित वितीय संसाधान/सहमति प्राप्त होने पर सिविल कार्य हेतु डीपीआर

Scanned with CamScanner

के अनुसार वांछित वितीय संसाधान/लागत राशि वन विभाग द्वारा प्राधिकरण को हस्तांतरित करने हेतु सहमति हुई। तथा स्मृति वन की डीपीआर योजना की स्वीकृति राशि में से जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार करवाने, तत्पश्चात् वन विभाग की सहमति उपरांत वन विभाग राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु डीपीआर भिजवाने पर सहमति हुई।

अतः उक्त कार्य के प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति टर्म ऑफ रेफ्रेंस अनुमोदन एवं ईओआई जारी करने की स्वीकृति का प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी कार्यकारी समिति के सक्षम अनुमोदन व स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 28 :: Preparation of comprehensive Development Plan & DPR of Mandore Garden for Heritage conservation and renovation" की लागत राशि रूपये 50.00 लाख है, की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति टर्म ऑफ रेफ्रेंस अनुमोदन एवं ईओआई की स्वीकृति का प्रस्ताव।

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है। **(FTS क्रमांक JDA/FTS/102218)**	प्राधिकरण के जोन उत्तर द्वारा कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति टर्म ऑफ रेफ्रेंस अनुमोदन एवं ईओआई की स्वीकृति का प्रस्ताव।

उपरोक्त विषय में सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर तथा जोधपुर विकास प्राधिकरण को मण्डोर उद्यान हस्तांतरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन के तहत उक्त कार्य की निविदा कार्यवाही आरंभ की गयीं। उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति कार्यकारी समिति की प्रत्याशा में क्रमांक 1244 दिनांक 08.02.2021 को राशि रूपये 50.00 लाख की जारी की गयी थी। उक्त कार्य की ईओआई दिनांक 10.02.2021 को जारी की जाकर दिनांक 26.02.2021 को ईओआई की तकनीकी बिड खोली गयी। जिसमें M/s Jain & Associates and M/s Sincere Architects Engineer PVT. Ltd द्वारा भाग लिया गया। तत्पश्चात् सफल बिडर्स को उपापन समिति के समक्ष प्रजेंटेशन हेतु 09.03.2021 को आमंत्रित किया गया।

अतः उक्त कार्य के प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति टर्म ऑफ रेफ्रेंस अनुमोदन एवं ईओआई की स्वीकृति का प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी कार्यकारी समिति के सक्षम अनुमोदन व स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

Scanned with CamScanner

प्रस्ताव संख्या 29 :: जयपुर–जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आरटीओ आरओबी के निर्माण कार्य हेतु जोधपुर ग्राम के खसरा सं. 289 की 18425 वर्ग मीटर भूमि को लाईसेन्स बेसिस पर लिये जाने हेतु रक्षा विभाग को प्रतिभूति राशि रू. 34,55,808/– एवं पेड़ कटाई की अनुमति हेतु राशि रू. 26,366/– के भुगतान पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति एवं भूमि को लाईसेन्स बेसिस पर लेने हेतु रक्षा विभाग के साथ एग्रीमेन्ट एवं एम.ओ.यू. की स्वीकृति बाबत्।

क्र.स.	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार एजेण्डा में किसी प्रकार का तथ्य छिपाया नहीं गया है। (FTS क्रमांक JDA/FTS/93506)	जयपुर–जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आरटीओ आरओबी के निर्माण कार्य हेतु जोधपुर ग्राम के खसरा सं. 289 की 18425 वर्ग मीटर भूमि को लाईसेन्स बेसिस पर लिये जाने हेतु रक्षा विभाग को प्रतिभूति राशि रू. 34,55,808/– एवं पेड़ कटाई की अनुमति हेतु राशि रू. 26,366/– के भुगतान पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति एवं भूमि को लाईसेन्स बेसिस पर लेने हेतु रक्षा विभाग के साथ एग्रीमेन्ट एवं एम.ओ.यू. की स्वीकृति बाबत्।

लेवल क्रॉसिंग सी – 168 (आरटीओ ऑफिस फाटक) जयपुर–जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच–112) के निकट स्थित है। यह क्रॉसिंग जोधपुर के आरटीओ ऑफिस (परिवहन विभाग) को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एन.एच. 112 से जोडती है। आरटीओ कार्यालय में वाहनों के आवागमन हेतु इस क्रॉसिंग का उपयोग किया जाता है, जिस कारण इस क्रॉसिंग पर यातायात का दबाव सदैव रहता है। प्राधिकरण द्वारा आरटीओ फाटक पर प्रतिदिन होने वाली यातायात की समस्या के निस्तारण हेतु रेल्वे कोसिंग सी–168 (आरटीओ फाटक) पर आरओबी का निर्माण करने हेतु राशि रू. 75.00 करोड की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति कार्यकारी समिति बैठक दिनांक 17.04.2018 के प्रस्ताव सं. 05 द्वारा जारी की गई। सैन्य अधिकारियों द्वारा जयपुर–जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वंय का स्वामित्व बताकर प्रस्तावित आरओबी का कार्य रूकवा दिया गया था।

जिला कलक्टर द्वारा विकास कार्यो की समीक्षा बैठक में आरटीओ फाटक आरओबी के संबंध में चर्चा के दौरान निर्देश प्रदान किये गये कि उक्त भूमि विवाद को जोधपुर रक्षा संपदा अधिकारी से संपर्क कर समाधान निकाला जायें। जोधपुर रक्षा संपदा अधिकारी द्वारा सुझाया गया कि उक्त भूमि विवाद हेतु लाईसेन्स बेसिस पर वर्किंग परमिशन (ट्रांसफर ऑफ डिफेन्स लेन्ड) रक्षा मंत्रालय, मुख्यालय दिल्ली से प्राप्त की जाकर कार्य संपादित करवाया जा सकता है। सुझाव अनुसार भूमि को लाईसेन्स बेसिस पर वर्किंग परमिशन (ट्रांसफर ऑफ डिफेन्स लेन्ड) का प्रस्ताव मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 31.01.2020 को सयुंक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित किया गया था। दिनांक 25.11.2020 की प्राधिकरण बैठक के प्रस्ताव सं. 06 में सर्व सम्मति से जयपुर–जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आरटीओ आरओबी के निर्माण कार्य हेतु जोधपुर ग्राम के खसरा सं. 289 की 18425 वर्ग मीटर भूमि को लाईसेन्स बेसिस पर लिये जाने का निर्णय लिया गया था।

Scanned with CamScanner

रक्षा मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 14.01.2021 को उक्त 18425 वर्ग मीटर भूमि लाईसेन्स बेसिस पर लाईसेन्स फीस राशि रू. 18425 प्रति वर्ष एवं भूमि की कीमत की 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि (राशि रू. 34,55,808/–) जमा करवाने के पश्चात् आरओबी निर्माण हेतु 18425 वर्ग मीटर भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरण करने की सहमति दी गयी है। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रतिभूति राशि रू. 34,55,808/– एवं पेड़ कटाई की अनुमति हेतु राशि रू. 26,366/– रक्षा संपदा अधिकारी, जोधपुर के मद में दिनांक 02.06.2021 को जमा करवा दी गई है।

इसके साथ ही रक्षा विभाग द्वारा लाईसेन्स बेसिस पर भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरण हेतु ड्राफ्ट एग्रीमेन्ट एवं एम.ओ.यू. की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करवाई गई है।

अतः जयपुर–जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आरओबी के निर्माण कार्य हेतु जोधपुर ग्राम के खसरा सं. 289 की 18425 वर्ग मीटर भूमि को लाईसेन्स बेसिस पर लिये जाने हेतु प्रतिभूति राशि रू. 34,55,808/– एवं पेड़ कटाई की अनुमति हेतु राशि रू. 26,366/– रक्षा संपदा अधिकारी, जोधपुर को भुगतान पश्चात् कार्योत्तर स्वीकृति हेतु एवं रक्षा विभाग द्वारा लाईसेन्स बेसिस पर भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरण हेतु ड्राफ्ट एग्रीमेन्ट एवं एम.ओ.यू. के अनुमोदन हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए प्रस्तावानुसार जारी स्वीकृति एवं रक्षा विभाग द्वारा लाईसेन्स बेसिस पर भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरण हेतु ड्राफ्ट एग्रीमेन्ट एवं एम.ओ.यू. का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 :: कार्यकारी समिति की बैठक मे अनुमोदन की प्रत्याशा मे जारी की गई प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृतियों का अनुमोदन बाबत्

क्र सं	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा	प्रभारी अधिकारी की एजेण्डे में अभिशंषा/प्रस्ताव
1.	पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों एवं टिप्पणीयों के अनुसार कोई तथ्य छिपाया नही गया है।	कार्यकारी समिति की बैठक मे अनुमोदन की प्रत्याशा मे जारी की गई प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृतियों का अनुमोदन बाबत्

जोधपुर विकास प्राधिकरण मे प्रचलित एस.ओ.पी मे प्रदत शक्तियां अनुसार निर्माण/विकास कार्य हेतु आईटम सं. 1 अनुसार 5 करोड़ से अधिक निर्माण कार्य हेतु प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति जारी करने की सक्षमता कार्यकारी समिति को है तथा माल एंव सेवाओं हेतु एस.ओ.पी भाग द्वितीय के आईटम सं. 1 अनुसार 25 लाख से अधिक लागत के कार्य हेतु प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृति जारी करने की सक्षमता कार्यकारी समिति को है। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यो की अति आवश्यक एंव दैनिक कार्य जो की करवाये जाने आवश्यक थे। निम्न माल एंव सेवाओं से संबंधित कार्यो की प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृतियॉ कार्यकारी समिति की बैठक मे अनुमोदन की प्रत्याशा मे जारी की गई है :–

Scanned with CamScanner

1. माल एंव सेवाओं के कार्यः–

क्र सं	कार्य का नाम	जॉब नं.	बजट हेड	राशि रू (लाखों में)	जोन
1	प्राधिकरण कार्यालय के विभिन्न कार्यक्रमो के आयोजना एवं विकास कार्यो, स्कीमों के प्रचार प्रसार आदि फ्लेक्स/ होर्डिग बनाकर लगाने का कार्य	10	5001-9-02-03	35.00	HQ
2	Survey for total station, DGPS Drone survey mark for JDA area (ARC	35	5002-06-003	50.00	HQ
3	जोनल डवलपमेन्ट एवं रीजनल प्लान हेतु मैन पावर उपलब्धता का कार्य	27	5004-03	70.00	HQ
4	Consultancy services for Preparation of GIS application based Zonal development plan for Nagar Nigam North zone area	33	5008-3-0-0	60.00	HQ
5	Consultancy services for Preparation of GIS application based Zonal development plan for Nagar Nigam South zone area	32	5008-4-0-0	70.00	HQ
6	Drone UAV survey and prepation of GIS based map using ultra high resolution ortho mosaic Digital surface model digital terrain model along with digitization of main .... Map for Jodhpur Region part area of master Development plan 2031 Jodhpur Region	34	5008-5-0-0	25.00	HQ

अतः उपरोक्तानुसार उक्त प्रशासनिक एंव वितीय स्वीकृतियो का कार्यकारी समिति की बैठक मे अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रस्ताव बैठक में टेबल एजेण्डा के रूप में प्रस्तुत हुआ। जिसे सभी उपस्थित सदस्यों की सहमति से बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाकर निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

प्रस्ताव संख्या 31 :: राजकीय महाविद्यालय बावडी को भूमि आवंटन के संबंध में। खसरा संख्या 806/1 ग्राम बावडी

प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बावडी द्वारा दिनांक 29/01/2019 को प्रपत्र स मे आवेदन कर राजकीय महाविद्यालय बावडी जोधपुर के खसरा संख्या 806/1 ग्राम बावडी मे 5 एकड भूमि का आवंटन की मांग की है।

पटवारी मौका रिपोर्ट दिनांक 05/03/2019 के द्वारा ग्राम बावडी के खसरा संख्या 806/1 रकबा 48.17 बीघा गै.मु. गोचर दर्ज है। उक्त भूमि जिला कलक्टर जोधपुर के आदेश क्रमांक 4675–4684 दिनांक 25/07/2019 के द्वारा प्राधिकरण के नाम हस्तान्तरित कर दी गयी है।

Scanned with CamScanner

विधि शाखा की रिपोर्ट दिनांक 28/08/2019 के अनुसार वाद लम्बित नही है। निदेशक आयोजना रिपोर्ट दिनांक 15/10/2019 के द्वारा उक्त भूमि का भू-उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (ड्राफ्ट) अनुसार यू-3 मे दर्शाया गया है। आपत्ति सुझाव विश्लेषण मे उक्त खसरा मे विशेष पर कोई आपत्ति प्राप्त नही है। यू-3 डीसीआर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान 2031 (ड्राफ्ट) अनुसार कॉलेज को 100 फीट व अधिक सडक मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया गया है।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की पूर्व बैठक दिनांक 18/10/2019 के प्रस्ताव संख्या 17(ब) के अनुसार राजकीय महाविद्यालय बावडी को खसरा संख्या 806/1 मे 5 एकड भूमि आरक्षित दर पर आवंटन की सक्षम स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया। उक्त के आधार पर राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2019 दिनांक 07 जून 2021 द्वारा ग्राम बावडी के खसरा संख्या 806/1 मे राजकीय महाविद्यालय बावडी को 10000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गयी। राजकीय महाविद्यालय बावडी प्राचार्य द्वारा अपने पत्र क्रमांक रा.म.बा./2021/69 दिनांक 22/06/2021 द्वारा महाविद्यालय के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु निवेदन किया है। पूर्व मे कार्यकारी समिति द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय तिंवरी मथानिया को भी भूमि आवंटन का प्रस्ताव निःशुल्क रूप से करने हेतु राज्य सरकार को भेजा जा चुका है। जिस पर स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है।

उक्त प्रकरण राजकीय महाविद्यालय बावडी हेतु खसरा संख्या 806/1 ग्राम बावडी मे 5 एकड भूमि निःशुल्क रूप से आवंटन स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्रेषित करने हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति के समक्ष वास्ते निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से राजकीय महाविद्यालय बावडी हेतु खसरा संख्या 806/1 ग्राम बावडी में 5 एकड भूमि निःशुल्क आवंटन करने की प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ प्रकरण पुनः राज्य सरकार को सक्षम स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2020/ भाग-11/ (जे0डी0ए0/एफ0टी0एस0/94294) कार्यकारी समिति बैठक निर्धारण पत्रावली) के पैरा संख्या 32.../एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।

25/6/21
(हरभान मीना)
सचिव

कमांक/बैठक/2021/475-492

दिनांक ::25 जून, 2021

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर

04. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
05- उपाध्यक्ष, राजस्थान स्टेट रियल एस्टेट डवलपमेंट काउन्सिल, (RAJREDCO)
307, पिंक टावर, नेहरू गार्डन के सामने, टोंक रोड, जयपुर
06. उपायुक्त–पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/ पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
07. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम (उतर/दक्षिण) जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
09. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
10. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर/बोरानाड़ा
11. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
12. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
13. निदेशक– अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. उपायुक्त–पूर्व/ पश्चिम/ उत्तर/ दक्षिण/ मुख्यालय/ उपसचिव/ भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. अधीक्षण अभियन्ता–I/II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
18. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
19. ....

25/6/17

(हरभान मीना)
सचिव

Scanned with CamScanner

परिशिष्ट–1

दिनांक 25 जून, 2021 को प्रातः 10.30 बजे श्री कमर चौधरी, आई.ए.एस., आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्री सतवीर यादव, अतिरिक्त कलक्टर–शहर–द्वितीय, जोधपुर
2. श्री मुकेश भाटी, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
3. श्री इमतियाज बेग, जोनल चीफ इंजिनियर, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, डिस्कॉम, जोधपुर
4. श्री हिमांशु गोविल, अधीक्षण अभियन्ता–सिटी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर
5. श्री एम.एस. चारण, अधीक्षण अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
6. श्री नाथू सिंह, अतिरिक्त उपायुक्त–पुलिस, पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर
7. श्री सुधीर माथुर, अधिशाषी अभियन्ता, नगर निगम–दक्षिण, जोधपुर
8. श्री चीमाराम प्रजापत, पर्यटन अधिकारी, पर्यटन विभाग, जोधपुर
9. श्री कुलदीप शर्मा, मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
10. श्री जगदीश कुमार, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. श्री लाडुराम विश्नोई, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री ओ.पी. सीरवी, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. श्री राजेश वर्मा, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री श्री राकेश कुमार, शर्मा, उप सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री नीरज मिश्र, उपायुक्त–पश्चिम, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. श्रीमती कंचन राठौड, उपायुक्त–उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
17. श्री राजेन्द्र सिंह चांदावत, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. श्री हरभान मीना, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

Scanned with CamScanner